प्रेस नोट **दिनांक 24.01.2026**

थाना कोपागंज में लुट की घटना का सफल अनावरण एसओजी/स्वाट/सर्विलांस टीम मऊ व थाना कोपागंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 20/2026 धारा 309(4) बीएनएस व धारा 3/25 A ACT से सम्बन्धित 04 नफर अभियुक्त 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से पीली धातु के जेवरात 39.585 ग्राम, सफेद धातु 259.860 ग्राम, 15 हजार नगद लगभग 10 लाख रुपये कीमती 02 अदद् तमंचा देशी 315 बोर, 02 अदद् कारतूस 315 बोर बरामद –

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धर पकड़ तथा हो रही चैन स्नेचिंग/लूट की घटना की रोकथाम/ गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी घोसी तथा प्रभारी निरीक्षक कोपागंज के कुशल नेतृत्व में थाना स्वाट/सर्विलांस व कोपागंज पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.01.2026 को सर्विलांस प्रभारी उ०नि० प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह का० राकेश यादव, का० वृजेश मौर्या, का० अश्वनी गौड, हे0का0 अमित सिंह व स्वाट टीम के हे० का विक्रम सिंह रघुवंशी, हे०का पियूष सिंह, का० जानेन्द्र पाण्डेय मय वाहन सरकारी UP54G0229 चा० कामलेश कुमार ठाकुर व एसओजी टीम प्रभारी उ०नि० मनोज कुमार सिंह मय हमराह का दीपक मौर्या, का अविनाशधर दूबे, का0 अनिरुद्ध सिंह, का० अनुदेश दत बनौधा, का० ऋपभद्विवेदी मय वाहन सरकारी UP32DG7462 तथा प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर मय हमराह का। अमरेश सिंह, का० विजय यादव, मथ बाहन सरकारी UP32EG3068 चा०हे०का० रितेश राय प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र सन्दिग्ध व्यक्ति व वस्तु व वाहन मे व क्षेत्र में पूर्व में घटित चैन स्नेचिंग की घटनाओं के अनावरण हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर की सूचना पर काछाकला अण्डर पास बगीचे में मौजूद है उक्त सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वाले सभी लोगों को मौका एवं मकसद बताकर व स्वाट टीम व सर्विलांस टीम व मय मुखबिर को साथ लेकर भातकोल रोड़ बगीचे के करीब पहुचे तो मुखबिर द्वारा बगीचे के तरफ इशारा करके चला गया। पुलिस टीम द्वारा तेजी से आगे बढ़कर हिकमत अमली व सिखलाई के तरीके से अपने आप को छुपते छुपाते संदिग्ध व्यक्ति के पास जैसे ही पहुचे कि हम पुलिस वाले सरकारी वाहन को खडा करके चारो तरफ से बगीचे को घेर लिए हम पुलिस वालो को देखते ही बगीचे में मौजूद व्यक्ति भागने की कोशिश किये मौके पर घेर कर पकड़े गए पकडे गये चारो व्यक्तो का नाम पुछा गया तो पहले नें अपना नाम 01. सुजीत यादव पुत्र रमेश यादव निवासी सरया बाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊः कब्जे से एक अदद पिस्टल नाजायज 32 बोर, अदद कारतूस जिंदा 32 बोर, 1000 रुपये, एक प्लास्टिक की पारदर्शी पन्नी में कुछ जेवरात सफेद व पीली धातु का बरामद हुआ दो अदद पीली धातु का मंगल सूत्र का लाकेट व दो अदद सफेद धातु का पायल जिसमें तीन तीन घुंघरू लगे हुए है बरामद हुआ। 02.अश्वनी यादव उर्फ मोहन यादव पुत्र इन्द्रजीत यादव निवासी तिलयीखुर्द थाना घोसी जनपद मऊ दो अदद पीली धातु की मगंल सूत्र की लाकेट व दो अदद पायल सफेद धातु जिसमें तीन तीन घुघुरु लगे हुए है बरामद हुआ 900 रूपये बरामद हुआ। 03. राहुल चौहान पुत्र स्व. हीरा चौहान निवासी मीरपुर रहीमाबाद कटार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ एक अदद तमंचा 12 बोर बरामद हुआ एक अदद कारतूस 12 बोर, दो अदद पीली धातु का मंगल सूत्र का लाकेट

06 अदद नाक की कील व 04 अदद पीली धातु की कान की बाली बरामद हुआ। 04.अमरेश चौहान पुत्र विनोद चौहान निवासी कोइरियापार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ एक अदद पीली धातु की अंगूठी बरामद हुई। कड़ाई से पूछताछ में बताये किं हम लोग का एक गैंग है जिसका लीडर मोनू यादव उर्फ मनोज यादव हमारे साथी अजय यादव और अवध राजभर जिला कारागार जनपद आजमगढ़ में बंद है जिनको छुडाने के लिए 7.5 लाख की जरूरत है गैंग वाले मिलकर लूट की योजना बनाये थे जिसकी सूचना मोहन यादव नें दिया था किं कोपागंज का व्यापारी पिडवल बाजार में सर्राफा की दुकान किया है जो समान लेकर आता जाता है। जिसको लेकर दिनाक 10.01.2026 को हम लोग रैकी करके रोड मैप तैयार कर लिए। फिर मंगलवार को मोहन यादव, पिढवल बजार में सर्राफा दुकान के आस पास रहकर रवि चौहान को सूचना दे रहा था रवि चौहान व अमरेश पुल के पास गाड़ी से पीछे पीछे जाना था और उनको लूट के समय पीछे पड़ा होना था तथा दूसरी गाड़ी पर राहुल चौहान गाड़ी चला रहा था बीच में मै बैठा था तथा पीछे राहुल यादव बैठा था, तीसरी गाड़ी पर शिवम सोनकर गाड़ी चला रहा था पीछे मैं बैठा था. हम लोगों के पास अ 2/3 पिस्टाल थी। जैसे ही सेंठ आगे निकले सुनसान इलाका देखकर खाद गोदाम टडियाव के पास रवि चौहान ने इसारा किया, वैसे ही मोनू और राहुल यादव ने आगे से गाड़ी रोक लिया। मैं भी गाड़ी से पहुंच गया और अपनी जेब से पिस्टल निकालकर व्यपारी की गर्दन पर उनके जैकेट की जेब से सोने की दो पुडिया निकाल लिया। राहुल यादव ने मोटर साईकिल की डिग्गी से एक नीले रंग का बैग निकाला मोनू उर्फ मनोज बादव ने पीछे बैठे व्यपारी का झोला छीन लिया और भाग गये।

साथ ही एक अभियुक्त अंजली यादव उर्फ रूची पुत्री अशोक यादव निवासी श्रीनगर शियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 14.370 ग्राम पीली धातु 188.235 ग्राम सफेद धातु व 400 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

जिस पर पुलिस टीम द्वारा द्वारा मौके पर ही दिनाँक 24.01.2026 समय करीब 08:59 बजे आवश्यक बल का प्रयोग कर पकड़ लिया गया तथा पकडे अभियुक्त के पास से लूट की पीली धातु के जेवरात 39.585 ग्राम, सफेद धातु 259.860 एक अदद् पिस्टल 32 बोर, एक अदद् कारतूस 32 बोर एक अदद तमन्चा 12 बोर एक अदद कारतूस 12 बोर 02 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त होने के कारण गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय बलिया रवाना किया गया।

गिरफ्तार का अभियुक्त नाम व पता -

1. सुजीत यादव पुत्र रमेश यादव निवासी सरया बाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊः
2. अश्वनी यादव उर्फ मोहन यादव पुत्र इन्द्रजीत यादव निवासी तिलयीखुर्द थाना घोसी जनपद मऊ
3. राहुल चौहान पुत्र स्व. हीरा चौहान निवासी मीरपुर रहीमाबाद कटार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ
4. अमरेश चौहान पुत्र विनोद चौहान निवासी कोइरियापार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ
5. अंजली यादव उर्फ रूची पुत्री अशोक यादव निवासी श्रीनगर शियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

संबंधित/अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0स0 20/26 धारा 309 (4)) बीएनएस व बढोतरी धारा-300(6)/317(3),3(5) /310(4)/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोपागंज मऊ.

*अभियुक्त के पास से बरामदगी-

1. पीली धातु के जेवरात 39.585 ग्राम
2. सफेद धातु 259.860
3. एक अदद् पिस्टल 32 बोर एक अदद् कारतूस 32 बोर
4. एक अदद तमन्चा 12 बोर एक अदद कारतूस 12 बोर
5. 02 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-

सर्विलांस प्रभारी उ०नि० प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह का० राकेश यादव, का० वृजेश मौर्या, का० अश्वनी गौड, हे0का0 अमित सिंह व स्वाट टीम के हे० का विक्रम सिंह रघुवंशी, हे०का पियूष सिंह, का० जानेन्द्र पाण्डेय चा० कामलेश कुमार ठाकुर व एसओजी टीम प्रभारी उ०नि० मनोज कुमार सिंह मय हमराह का दीपक मौर्या, का अविनाशधर दूबे, का0 अनिरुद्ध सिंह, का० अनुदेश दत बनौधा, का० ऋपभद्विवेदी प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर मय हमराह का। अमरेश सिंह, का० विजय यादव, चा०हे०का० रितेश राय

स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट की घटना का सफल अनावरण-

एसओजी/स्वाट/सर्विलांस टीम मऊ व थाना कोपागंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 20/2026 धारा 309(4) बीएनएस व धारा 3/25 A ACT से सम्बन्धित 04 नफर अभियुक्त 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से पीली धातु के जेवरात 39.585 ग्राम, सफेद धातु 259.860 ग्राम(लगभग 10 लाख रुपये कीमती) व 15 हजार नगद, 02 अदद् तमंचा देशी 315 बोर, 02 अदद् कारतूस 315 बोर बरामद -

जनपद मऊ के थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 13.01.2026 (मंगलवार) को एक सनसनीखेज लूट की वारदात घटित हुई थी। पीड़ित सर्राफा व्यापारी जितेन्द्र वर्मा व बैजनाथ वर्मा अपनी दुकान (पिढ़वल बाजार) से व्यापार समाप्त कर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे खाद गोदाम तड़ियाव के पास पहुंचे, पूर्व से घात लगाए मोटर साइकिलों पर सवार शातिर अपराधियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अपराधियों ने आतंक कायम करने हेतु व्यापारियों की गर्दन पर अवैध पिस्टल व तमंचा सटा दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए उनके पास मौजूद आभूषणों की पुड़िया, नकदी और आभूषणों से भरा नीला बैग लूट लिया था । जिसके सम्बन्ध में थाना कोपागंज जनपद मऊ पर मु.अ.सं. 20/26 धारा 309(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

घटना की गंभीरता तथा व्यापारियों में व्याप्त भय को दृष्टिगत रखते हुए श्री इलामारन जी, पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ द्वारा तत्काल कड़े निर्देश निर्गत किए गए। उक्त बड़ी वारदात के शीघ्र अनावरण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु उनके स्वयं के नेतृत्व में एस.ओ.जी., स्वाट, सर्विलांस तथा थाना कोतवाली व स्थानीय पुलिस बल की कुल पाँच विशेष टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों को घटना के अनावरण एवं घटना में संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया तथा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रतिदिन सभी टीमों से निरन्तर जानकारी प्राप्त कर प्रभावी निगरानी रखी गई।

घटना के अनावरण हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा सर्वप्रथम अपराधियों के संभावित फरार होने के मार्गों का गहन विश्लेषण किया गया। घटनास्थल के भौगोलिक परिदृश्य, सड़क नेटवर्क तथा पूर्व की आपराधिक गतिविधियों के अध्ययन के आधार पर संभावित एस्केप रूट चिन्हित किए गए। इसके पश्चात पुलिस द्वारा

घटनास्थल पिढ़वल बाजार से लेकर जनपद की सीमाओं तक स्थापित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज संकलित कर उनका सूक्ष्म परीक्षण किया गया। इस क्रम में बाजार क्षेत्र, प्रमुख चौराहों, संपर्क मार्गों, पेट्रोल पंपों, टोल प्लाजा, ढाबों एवं संवेदनशील स्थलों पर लगे लगभग 325 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाला गया। जिस दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि घटना के समय व उसके उपरान्त मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ संदिग्ध युवक क्षेत्र में सक्रिय थे। फुटेज के माध्यम से संदिग्धों के हुलिए, उनके पहनावे, मोटरसाइकिलों की बनावट, आने-जाने के समय तथा उनकी गति एवं दिशा का क्रमवार अवलोकन किया गया, जिससे अपराधियों की मूवमेंट का स्पष्ट पैटर्न उभरकर सामने आया। समानांतर रूप से सर्विलांस टीम को तकनीकी साक्ष्यों के संकलन हेतु सक्रिय किया गया। टीम द्वारा घटनास्थल एवं उसके आसपास के संदिग्ध मोबाइल नंबरों का गहन तकनीकी विश्लेषण प्रारंभ किया गया।

आज दिनांक 24.01.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनूप कुमार के मार्गदर्शन एवम् क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर थाना कोपागंज एवम् थाना कोतवाली नगर तथा एस.ओ.जी., स्वाट एवं सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 06.18 बजे भातकोल रोड स्थित काछीकला अंडरपास के समीप बगीचे से घटना में शामिल चार शातिर डकैतों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से लूटे गये सोने चांदी के आभूषण व असलहे तथा घटना में प्रयुक्त वाहन को बरामद किया गया। जिनकी निशानदेही व पूछताछ के आधार पर ही घटना में शामिल महिला को मोहम्मदा बाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका -

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि

1. जेल में / पेशी के दौरान सरगना अजय यादव द्वारा मोनू के माध्यम से अपने जमानत / सुलह समझौता के लिये तत्काल 7.5 लाख रूपये की आवश्यकता बताते हुए योजना बनायी थी।
2. घटना को अंजाम देने के लिये मोनू ने अपने घर पर सभी को बुलाकर योजना का अन्तिम रूप दिया था जिसमें परिवार के सदस्य व सभी लुटेरे मौजूद रहे।
3. अश्वनी यादव उर्फ मोहन यादव द्वारा व्यापारी के आने जाने व गहने व पैसों के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी।
4. शनिवार (10.01.2026) को व्यापारी के आने-जाने के रास्तों की रेकी की गयी थी।
5. मंगलवार (13.01.2026) को अश्वनी यादव उर्फ मोहन यादव द्वारा रवि चौहान को व्यापारी की मुखबिरी की गयी थी।
6. घटना में अभी तक कुल 12 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. सुजीत यादव पुत्र रमेश यादव निवासी सरया थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष
2. अश्वनी यादव उर्फ मोहन यादव पुत्र इन्द्रजीत यादव निवासी तिलई खुर्द थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष
3. राहुल चौहान पुत्र स्व. हीरा चौहान निवासी मीरपुर रहीमाबाद कटार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष
4. अमरेश चौहान पुत्र विनोद चौहान निवासी कोड़रियापार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष
5. अंजली यादव उर्फ रुचि यादव पुत्री अशोक यादव निवासी श्रीनगर सियार बिलरियागंज आजमगढ़

बरामदगी का विवरण -

- ❖ सोने के आभूषण करीब 39.585 ग्राम वजन (मंगलसूत्र के लॉकेट, नाक की कील, बाली और अंगूठी)
- ❖ चांदी के आभूषण करीब 259.860 ग्राम वजन (पायल, बिछिया)
- ❖ लूट की राशि का हिस्सा कुल 15,000 रूपये नगद
- ❖ 01 अदद अवैध पिस्टल (32 बोर) और 01 अदद जिंदा कारतूस (32 बोर)
- ❖ 01 अदद अवैध तमंचा (12 बोर) और 01 अदद जिंदा कारतूस (12 बोर)
- ❖ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस (नम्बर- UP50 CX 2748), तथा हीरो स्प्लेंडर प्लस (नम्बर- UP54 AV 7215) बरामद

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान –

दिनांक – 24.01.2026

समय – 06.18 बजे

स्थान – भातकोल रोड बगीचा थाना कोपागंज मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0 20/2026 धारा 309(4))/309(6)/317(3)/3(5)/310(4)/351(3) BNS व 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली जनपद मऊ

आपराधिक इतिहास –

1. सुजीत यादव पुत्र रमेश यादव नि0 सरया थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष

i) मु0अ0सं0 20/2026 धारा 309(4))/309(6)/317(3)/3(5)/310(4)/351(3) BNS व 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली जनपद मऊ

ii) मु0अ0सं0 65/25 धारा 115(2), 3(5), 351(2), 352 BNS व 3(1)द SC/ST ACT थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ

iii) मु0अ0सं0 375/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ

2.अश्वनी यादव उर्फ मोहन यादव पुत्र इन्द्रजीत यादव नि0 तिलई खुर्द थाना घोसी जनपद उम्र करीब 19 वर्ष

1) मु0अ0सं0 20/2026 धारा 309(4))/309(6)/317(3)/3(5)/310(4)/351(3) BNS व 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली जनपद मऊ

3. राहुल चौहान पुत्र स्व. हीरा चौहान नि0 मीरपुर रहीमाबाद कटार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष

1) मु0अ0सं0 20/2026 धारा 309(4))/309(6)/317(3)/3(5)/310(4)/351(3) BNS व 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली जनपद मऊ

4. अमरेश चौहान पुत्र विनोद चौहान नि0 कोड़रियापार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष

1) मु0अ0सं0 20/2026 धारा 309(4))/309(6)/317(3)/3(5)/310(4)/351(3) BNS व 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली जनपद मऊ

5. अंजलि यादव उर्फ रुचि पुत्री अशोक यादव नि0 श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

1) मु0अ0सं0 20/2026 धारा 309(4))/309(6)/317(3)/3(5)/310(4)/351(3) BNS व 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली जनपद मऊ

<u>गिरफ्तारी बरामदगी पुलिस टीम का विवरण</u> –

1. **प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ मय टीम**
   (1) अमरेश सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
   (2) का0 विजय यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
   (3) चा0हे0का0 रितेश राय थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. **प्र0नि0 रविन्द्र नाथ राय थाना कोपागंज जनपद मऊ**
   (1) उ0नि0 श्री अनिकेत सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ
   (2) उ0नि0 श्री जावेद अख्तर थाना कोपागंज जनपद मऊ
   (3) का0 प्रेमनाथ यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ
   (4) का0 रामबहादुर सरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ
   (5) का0 सुधीर कुमार यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ
   (6) का0 विजय विश्वकर्मा थाना कोपागंज जनपद मऊ
   (7) चालक हे0का0 कृष्ण कुमार सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ
3. **उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस व स्वाट टीम जनपद मऊ**
   (1) हे0का0 राकेश यादव सर्विलांस टीम जनपद मऊ
   (2) हे0का0 अमित सिंह सर्विलांस टीम जनपद मऊ
   (3) हे0का0 विक्रम सिंह रघुवंशी स्वाट टीम जनपद मऊ
   (4) हे0का0 पियुष सिंह स्वाट टीम जनपद मऊ
   (5) का0 बृजेश मौर्या सर्विलांस टीम जनपद मऊ
   (6) का0 अश्वनी गौड़ सर्विलांस टीम जनपद मऊ
   (7) का0 ज्ञानेन्द्र पाण्डेय स्वाट टीम जनपद मऊ
   (8) चा0का0 कामलेश कुमार स्वाट टीम जनपद मऊ
4. **उ0नि0 मनोज कुमार सिंह टीम प्रभारी एसओजी जनपद मऊ**
   (1) का0 दीपक मौर्या एसओजी टीम
   (2) का0 अविनाशधर दूबे एसओजी टीम
   (3) का0 अनिरूद्ध सिंह एसओजी टीम जनपद मऊ
   (4) का0 अनुदेश दत्त बनौधा एसओजी टीम जनपद मऊ
   (5) चा0 का0 ऋषभ द्विवेदी एसओजी टीम जनपद मऊ

मिशन शक्ति फेज 05 तहत एण्टीरोमियो टीम द्वारा महिलाएं एवं बच्चियों से छींटाकशी व अश्लील गाने का प्रयोग करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर कृष

राजपूत के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.1.2026 को थाना कोतवाली नगर एन्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 05 तहत एण्टीरोमियो चेकिंग के दौरान महिलाएं एवं बच्चियों से छींटाकशी व अश्लील गाने का प्रयोग करने वाला 01 नफर वसीम खान पुत्र शाहजहा खाना निवासी हट्ठी मदारी थाना कोतवाली नगर को गाय घाट पार्क से से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 32/26 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

नाम पत्ता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. वसीम खान पुत्र शाहजहा खाना निवासी हट्ठी मदारी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

महिला संबंधी अपराध में वांछित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियो कें विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर कृष राजपूत के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.1.2026 को थाना सरायलखन्सी पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के घर से मु0अ0स0 33/26 धारा 69, 115(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अंकित सिंह पुत्र रमेंश कुमार सिंह निवासी कोरारी जनपद चन्दौली हाल पता मो0 ग्रीन स्ट्रीट चांदमारी इमलिया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ। को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. अंकित सिंह पुत्र रमेंश कुमार सिंह निवासी कोरारी जनपद चन्दौली हाल पता मो0 ग्रीन स्ट्रीट चांदमारी इमलिया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 33/26 धारा 69, 115(2) बीएनएस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

अंजान व्यक्ति द्वारा फोन को लिंक के माध्यम से फोन हैक करके फ्राड की गयी 82000/- रु0 कुल धनराशि (बयासी हजार) रुपये थाना रानीपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना रानीपुर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अंजान व्यक्ति द्वारा फोन को लिंक के माध्यम से फोन हैक करके फ्राड की गयी 82000/- रु0 कुल धनराशि (बयासी हजार रुपये), पीडित लक्ष्मण चौहान पुत्र धनपाल चौहान निवासी ग्राम सेमरी पोस्ट कोलौरा थाना रानीपुर जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 82000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना घोसी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामाज्ञा कुमार थाना रानीपुर जनपद मऊ।
2. म0उ0नि0 सुधा अग्रहरि थाना रानीपुर जनपद मऊ।
3. क0आ0 अब्दुल रब थाना रानीपुर जनपद मऊ।
4. म0आ0 प्रियंका मिश्रा थाना रानीपुर जनपद मऊ।